

सहायक कलक्टर (SDO)  
बाराक

अज अदालत..... मुकाम.....

..... बनाम .....  
प्रभुराम वर्मा दुकानाम वर्मा

किस्म मुकदमा..... नं..... 11 सन् 2019  
राजस्थान अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/11/2019	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुमारी देवी चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 R.R. राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4/2/2019 को पेश हो।</p>	<p>11/10/11/2019</p>
04/02/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल सुनवा गयत जिसे तामिल पत्रावली भी पत्रा। अप्रार्थीगण बाकजुड तामिल मनु उपस्थित। न्यायालय प्रोवासीन अधिकारी डिग्री डायरी में दर्ज होने से मित्राल इल्लवा डेट 10/04/19 को पेश हो।</p>	
10/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण बाकजुड तामिल मनु उपस्थित। न्यायालय समग्र तीन बार आवाज लगाई गई मन्तियु आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। अप्रार्थीगण स्वयं आ उन्ही शोर के शेर अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए लिगजा उनडे विरुद्ध एडवोकेट डायरीवाही समल में लार्ज जानी है। प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति कथन हुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन ही प्रार्थी हो अपने</p>	

व्यावसायिक चैलें के चारों ओर पन्द्रे नैपथ्य स्थापित करना  
 आवश्यक है इसलिए गार्डी का नैपथ्यवन्ती आवेदन स्वीकार  
 किया जाकर नैपथ्यवन्ती आवेदन किया जावे। अतः गार्डी  
 अधिकांश के निवेदन पर गार्डी का नैपथ्यवन्ती आवेदन  
 स्वीकार किया जाकर तदनुसार वास्तु की इमिशन  
 नियुक्त किया जाय है व आवेदन दिया जाय है कि  
 आय स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अधिकार  
 निरिस्त के गार्डी के व्यावसायिक चैलें की पन्द्रे नैपथ्य-  
 वन्ती मोड पर कुछ जमाइताइत कर, पालना रिपोर्ट  
 गज होने पर शामिल पत्रवली दी, पत्रवली प्रसल  
 सुधार दी, दर्ज नम्बर के उम है, दायित्व इतर है।

कमांक /

10.4.2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 169

दिनांक:- 10.4.19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. प्रभूराम पुत्र पूराराम वगैरा 3  
जाति जाट निवासी सेवनियाला  
तहसील बायतु जिला बाडमेर


1. दूदाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट वगैरा 12  
निवासी सेवनियाला  
तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 11/19

आदेश

मौजा सेवनियाला पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 423/292 रकबा 90-01 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू-अ-निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2019/ 170-174

प्रतिलिपि :- निम्न को सौमार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री प्रभूराम पुत्र पूराराम
4. विप्रार्थीगण दूदाराम पुत्र श्री हुकमाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

10.4.2019  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:- 10/4/19

10.4.2019  
उपखण्ड अधिकारी (SDO)  
बायतु